न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कंस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 217/17

अनवान :

1. राजवीर पुत्र श्री मुन्शीराम जाति मेघवाल निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।

- वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा ।
2. हरआम व खास

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुनील बैनीवाल : **वादी**

राज पैरोकार : **प्रतिवादी**

निर्णय **दिनांकः** 16.3.18

सक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मोमनबास की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 67/68 के खसरा संख्या–37 की 5.6660 है0 बारानी व खसरा संख्या–137 की 3.6170 है0 बारानी में मृतका वसीयतकर्ता के पति रामजीलाल के नाम से 158 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । अलावा इसके रोही मोजा मोठसरां की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 42/124 के खसरा संख्या 175/1 की 2.0740 है0, खसरा संख्या–185 की 0.2910 है0, खसरा संख्या–192/1 की 0.1260 है0, खसरा संख्या–194/1 की 0.2530 है0, खसरा संख्या–195 की 0.9480 है0, खसरा संख्या–196 की 1.7330 है0, खसरा संख्या–197 की 1.5560 है0, खसरा संख्या–199 की 2.7570 है0, खसरा संख्या–231/1 की 0.7590 है0, बारानी कृषि भूमि है जिसमें मृतका वसीयतकर्ता के पति रामजीलाल का 1/3 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रामदेई पत्नी श्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी मोठसरां का दिनांक–01.07.2017 को देहान्त हो चूका है और रामदेई के पति रामजीलाल का रामदेई से पहले ही दिनांक–24.07.2017 को देहान्त हो चूका है। अपने पति रामजीलाल के मृत्यु के पश्चात् उक्त दोनो खातो की कृषि भूमि की रामदेई खातेदार काश्तकार हो गयी रामदेई के कोई संतान नहीं थी रामदेई की सेवा चाकरी वादी राजवीर पुत्र श्री मुन्शीराम जाति मेघवाल निवासी मोठसरां तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान ही किया करता था ओर रामदेई के साथ ही निवास करता था वादी राजवीर की सेवा चाकरी व आज्ञाकारिता से रामदेई ने खुश होकर अपनी उक्त खातेदारी दोनो खाता हाजा की कृषि भूमि के सम्बन्ध में दिनांक–08.06.2017 को बरोबरू गवाहान अपनी स्वतंत्र ईच्छा एवं पूर्णतया होश हवास के मुझ वादी के पक्ष में वसीयत लेखबद्व करवा दी थी उक्त वसीयतं रामदेई की प्रथम व अन्तिम वसीयत थी । रामदेई का दिनांक–01.07.20174 को देहान्त हो गया जिस पर रामदेई की उक्त खातेदारी कृषि भूमि जो मृतका रामदेई के पति रामजीलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मुताबिक वसीयत मुझ वादी को प्राप्त हो गई तथा रामदेई बेऔलाद फौत होने के कारण उसके प्रथम श्रेणी का कोई विधिक वारिस नही था तथा मुताबिक

वसीयत रामदेई की उक्त खातेदारी का मै वादी कानूनन खातेदार काश्तकार हो गया परन्तू उक्त भूमि आज भी रामदेई के पति रामजीलाल के नाम से दर्ज चली आ रहीं है, जिससे मुझ वादी के खातेदारी अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। वादी न्यायालय से यह घोषणा करवाने का कानूनी अधिकार है कि वाद भूमि रोही मोजा मोमनबास की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या–67/68 के खसरा संख्या–37 की 5.6660 है0 बारानी व खसरा संख्या –137 की 3.6170 है0 बारानी में मृतका रामदेई के पति रामजीलाल के नाम से 158 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । अलावा इसके रोही मोजा मोठसरां की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या–42/124 के खसरा संख्या–खसरा संख्या 175/1 की 2.0740 है0, खसरा संख्या–185 की 0.2910 है0, खसरा संख्या–192/1 की 0.1260 है0, खसरा संख्या–194/1 की 0.2530 है0, खसरा संख्या–195 की 0.9480 है0, खसरा संख्या–196 की 1.7330 है0, खसरा संख्या–197 की 1.5560 है0, खसरा संख्या–199 की 2.7570 है0, खसरा संख्या–231/1 की 0.7590 है0, बारानी कृषि भूमि है जिसमे मृतका रामदेई के पति रामजीलाल का 1/3 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त दोनो खातो की रामदेई अपनी मृत्यु पर एकमात्र मालिक व स्वामी खातेदार काश्तकार थी का मैं वादी खातेदार काश्तकार हूं। बाद किये जाने घोषणा जमाबन्दी हाल को तदनुसार दुरूस्त किया जावे । व घोषणा की जावे वादभूमि रोही मोजा के वर्तमान खाता संख्या रोही मोजा मोमनबास की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या–67/68 के खसरा संख्या–37 की 5.6660 है0 बारानी व खसरा संख्या–137 की 3.6170 है0 बारानी में मृतका वसीयतकर्ता के पति रामजीलाल के नाम से 158 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । अलावा इसके रोही मोजा मोठसरां की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या–42/124 के खसरा संख्या– 175/1 की 2.0740 है0, खसरा संख्या–185 की 0.2910 है0, खसरा संख्या–192/1 की 0.1260 है0, खसरा संख्या–194/1 की 0.2530 है0, खसरा संख्या–195 की 0.9480 है0, खसरा संख्या–196 की 1.7330 है0, खसरा संख्या–197 की 1.5560 है0, खसरा संख्या–199 की 2.7570 है0, खसरा संख्या–231/1 की 0.7590 है0, बारानी कृषि भूमि है जिसमें मृतका वसीयतकर्ता के पति रामजीलाल का 1/3 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । जिसकी रामदेई अपने पति रामजीलाल के मृत्यु के पष्चात एकमात्र मालिक एवं स्वामी काबिज खातेदार काश्तकार थी का मै वादी वर्णित वसीयत के आधार पर खातेदार काश्तकार हूँ बाद किये जाने घोषणा जमाबंदी हाल में दुरूस्ती की जाकर रामजीलाल पुत्र श्री उदमीराम जाति मेघवाल निवासी मोठसरां का नाम राजस्व रिकार्ड कलमजन किया जाकर मुझ वादी राजवीर पुत्र श्री मुन्शीराम जाति मेघवाल निवासी मोठसरां का नाम दर्ज किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादी सं. 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया तथा प्रतिवादी सं. 02 हरआम खास के लिये वादी के द्वारा दिनांक 15.12.2017 को पंजाब केसरी राष्ट्रीय अखबार में साया करवाया गया जिसके खण्डन के लिये न्यायालय में कोई प्रतिपक्ष उपस्थित नहीं हुआ ।

प्रतिवादी स्टेट का जवाब पेश होने पर निम्न तनकीयात कायम की गई ।

आया कि दिनांक 08.06.2017 को मृतका रामदेई ने वाद वर्णित भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में करवा दी।

– वादी

2. आया कि उक्त वसीयत के आधार पर वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार है।

– वादी

3. अनुतोष ?

साक्ष्यवादी में पी.डब्ल्यु 1 में राजवीर पुत्र श्री मुन्शीराम जाति मेघवाल निवासी मोठसरां ने अपने साक्ष्य ताहिद में वसीयत दिनांक 08.06.2017 प्रदर्श 1, जिसकी चित्रप्रति 1ए, मृत्यु प्रमाण पत्र रामजीलाल प्रदर्श 3ए, मृत्यु प्रमाण पत्र रामदेई प्रदर्श 2ए, चित्रप्रति जमाबंदी रोही मोजा मोमनबास की सम्वत् 2072 से 2075 प्रदर्श 5, जमाबंदी रोही मौजा मोठसरां की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। गवाह पी.डब्ल्यु. 2 कृष्ण कुमार पुत्र श्री जयकरण जाति मेघवाल निवासी मोठसरां व गवाह पी.डब्ल्यु 3 सुरेश कुमार पुत्र श्री धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी ललाना दिखनादा व गवाह पी. डब्ल्यु 4 विरेन्द्र सिंह नोटेरी पब्लिक को पेश किया।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा मोमनबास के वर्तमान खाता संख्या–67/68 के खसरा संख्या–37 की 5.6660 है0 बारानी व खसरा संख्या–137 की 3.6170 है0 बारानी में मृतका वसीयतकर्ता के पति रामजीलाल के नाम से 158 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अलावा इसके रोही मोजा मोठसरां की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 42/124 के खसरा संख्या 175/1 की 2.0740 है0, खसरा संख्या–185 की 0.2910 है0, खसरा संख्या–192/1 की 0.1260 है0, खसरा संख्या–194/1 की 0.2530 है0, खसरा संख्या–195 की 0.9480 है0, खसरा संख्या–196 की 1.7330 है0, खसरा संख्या–197 की 1.5560 है0, खसरा संख्या–199 की 2.7570 है0, खसरा संख्या–231/1 की 0.7590 है0, बारानी कृषि भूमि है जिसमें मृतका वसीयतकर्ता के पति रामजीलाल का 1/3 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वादी वसीयत दिनांक–08.06.2017 के आधार पर अपने हक्कों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया गया है। चूंकि रामदेई व रामजीलाल की मृत्यु लाऔलाद हुई है। रामजीलाल की मृत्यु के पश्चात् उसकी प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी उसकी पत्नी रामदेई थी। रामजीलाल की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी के नाम नामान्तरणकरण खोला जाकर उसके नाम जमाबन्दी में अंकन किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया था, मगर इसके अभाव में भी रामदेई के खातेदारी अधिकारों को हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार माना जाना न्यायोचित है। रामदेई को अपने खातेदारी अधिकारों की वसीयत करने का पूरा अधिकार था जिसके अनुसरण में रामदेई द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत की गई है। उक्त वसीयतनामा को किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में इस वसीयतनामा को न्यायालय की राय में गलत एवं मिथ्या की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। वादी के पक्ष में रामदेई पत्नी रामजीलाल के द्वारा की गई वसीयत के खण्डन में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं हुआ है। वादी द्वारा वसीयत को जरिये साक्ष्य साबित किया गया है।

अत : वाद वादी डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मौजा मोमनबास की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 67/68 के खसरा संख्या–37 की 5.6660 है0 बारानी व खसरा संख्या–137 की 3.6170 है0 बारानी में मृतका वसीयतकर्ता के पति रामजीलाल के नाम से 158 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । अलावा इसके रोही मोजा मोठसरां की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 42/124 के खसरा संख्या 175/1 की 2.0740 है0, खसरा संख्या–185 की 0.2910 है0, खसरा संख्या–192/1 की 0.1260 है0, खसरा संख्या–194/1 की 0.2530 है0, खसरा संख्या–195 की 0.9480 है0, खसरा संख्या–196 की 1.7330 है0, खसरा

संख्या–197 की 1.5560 है0, खसरा संख्या–199 की 2.7570 है0, खसरा संख्या–231/1 की 0.7590 है0, बारानी कृषि भूमि है जिसमें मृतका वसीयतकर्ता के पति रामजीलाल का 1/3 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रामजीलाल वल्द उदमीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी राजवीर पुत्र श्री मुन्शीराम का नाम दर्ज किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.3.18 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कंस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 217/17

अनवान :

1. राजवीर पुत्र श्री मुन्शीराम जाति मेघवाल निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।

- वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा ।
2. हरआम व खास

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) सुनील बैनीवाल एवं राज पैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोमनबास की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 67/68 के खसरा संख्या–37 की 5.6660 है0 बारानी व खसरा संख्या–137 की 3.6170 है0 बारानी में मृतका वसीयतकर्ता के पति रामजीलाल के नाम से 158 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । अलावा इसके रोही मोजा मोठसरां की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 42/124 के खसरा संख्या 175/1 की 2.0740 है0, खसरा संख्या–185 की 0.2910 है0, खसरा संख्या–192/1 की 0.1260 है0, खसरा संख्या–194/1 की 0.2530 है0, खसरा संख्या–195 की 0.9480 है0, खसरा संख्या–196 की 1.7330 है0, खसरा संख्या–197 की 1.5560 है0, खसरा संख्या–199 की 2.7570 है0, खसरा संख्या–231/1 की 0.7590 है0, बारानी कृषि भूमि है जिसमें मृतका वसीयतकर्ता के पति रामजीलाल का 1/3 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रामजीलाल वल्द उदमीराम का नाम कलमजन किया जाकर राजवीर पुत्र श्री मुन्शीराम का नाम दर्ज किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना–अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.3.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़